न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 42/2016 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. रघुनाथ
2. राजकुमार
3. रामअवतार

} पुत्रगण शिवचरन जाति चमार निवासीगण बसई नवाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रूप सिंह पुत्र शोभाराम जाति चमार, निवासी बसई नवाव हाल निवासी अगनलाल का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी दिनांक 01.02.2016 मि.नं. 27/07 उनवानी रघुनाथ बनाम रूप सिंह।

उपस्थितिः–

1. श्री विज्जोलाल शर्मा वकील अपीलांट।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–17.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम तकीपुर तहसील बाडी में स्थित है। विवादित आराजी अपीलाण्ट/वादीगण एवं रैस्पो0/प्रतिवादी की पैतृक आराजी है, जो उन्हें स्व0 श्री शोभाराम पुत्र वेदरिया से विरासतन प्राप्त हुई है। स्व0 शोभाराम अपीलाण्ट/वादीगण के पितामह एवं रैस्पो0/प्रतिवादी के पिता थे। स्व0 शोभाराम की मृत्यु के समय अपीलाण्ट/वादीगण नाबालिग थे। अपीलाण्ट/वादीगण की नाबालिगी का फायदा उठाकर रैस्पो0/प्रतिवादी ने विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में स्व0 शोभाराम की मृत्यु के बाद उनके नाम के स्थान पर अपने नाम का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तकरण गलत व अवैध तरीके से दर्ज करा लिया। जबकि रैस्पो0/प्रतिवादी सम्पूर्ण आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं थे। बल्कि अपीलाण्ट/वादीगण के भी रैस्पो0/प्रतिवादी के समान अधिकार थे। शोभाराम की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी पर शिवचरन व रूप सिंह दोनों को 1/2–1/2 भाग का खातेदार दर्ज कर दिया गया, एवं इन इन्द्राजो के आधार पर विवादित आराजी के 1/2 भाग की रिलीजडीड शिवचरन द्वारा रूप सिंह के हक में कर दी गई, जो अवैध है। अतः अपने हितो की रक्षा हेतु, वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में 4/10 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने, विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस करने एवं रैस्पो0/प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा इस आधार पर खारिज किया कि विवादित आराजी शोभाराम की पैतृक सम्पत्ति नहीं बल्कि स्वःअर्जित सम्पत्ति थी। परन्तु अपीलाण्ट के अधिकारो पर इससे कोई प्रभाव नहीं पडता कि विवादित आराजी शोभाराम के पास कहॉ से आई। अपीलाण्ट को केवल यह साबित करना था कि विवादित आराजी अपीलाण्ट के पिता शिवचरन की पैतृक सम्पत्ति थी और उन्हें अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी। इस तथ्य को रैस्पो0 द्वारा भी स्वीकार किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज करके विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का विवेचन सही नहीं किया है तनकी संख्या 01 में केवल यह निष्कर्ष निकालना था कि विवादित आराजी शोभाराम की थी या नहीं यह विवेचन नहीं करना था कि शोभाराम की स्वःअर्जित सम्पत्ति थी या पैतृक परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के पक्ष में दावा निर्णित करने के उद्देश्य से यह निष्कर्ष निकाला कि विवादित आराजी शोभाराम की स्वःअर्जित सम्पत्ति थी। इस कारण निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टान्त डी0एन0जे0 2012(1) पेज 485 का हवाला देते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि हिन्दू विधि की धारा 223 के अनुसार पिता से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति एवं पिता से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति भी पैत्रिक सम्पत्ति होती है। विवादित आराजी शिवचरन व रूप सिंह को उनके पिता शोभाराम से प्राप्त हुई इसलिए उनके लिए यह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति हुई। इसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकार अपीलाण्ट को विवादित सम्पत्ति पिता के पिता से प्राप्त हुई इसलिए अपीलाण्ट के लिए भी यह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू विधि के प्रावधानों को नजरअंदाज करके अपीलाधीन आदेश परित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, अपीलाण्ट का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति बताते हुए, रिलीजडीड दिनांक 23.06.2004 को निरस्त कर, विवादित आराजी में अपनी खातेदारी घोषणा चाही गई है। रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस तथ्य को अस्वीकार करते हुए, जवाव दावें में विवादित आराजी को अपने पिता की निजी सम्पत्ति होना कथन करते हैं। प्रस्तुत वाद में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि प्रश्नगत आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार शोभाराम थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित 8 तनकियॉ निर्धारित की हैं। जिनमें तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट/वादी के वाद को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण है। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

5. तनकी संख्या 01 व 07 :– तनकी संख्या 01 व 07 एक दूसरे की पूरक होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक साथ तय की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श–डी 1 असल वयनामा के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि शोभाराम द्वारा प्रश्नगत आराजी गोकुला पुत्र गिरवर जाति जाटव निवासी अंगनलाल का पुरा से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 11.09.1980 को क्रय की गयी है। अपीलाण्ट/वादीगण प्रश्नगत आराजी को पुश्तैनी होना बताते हैं, किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो उक्त वयनामा को चुनौती देता हो। इस प्रकार प्रश्नगत आराजी पुश्तैनी ना होकर शोभाराम की स्वःअर्जित सम्पत्ति होना सिद्ध है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के मुताबिक संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में नाती का हक होता है। जबकि विवादित आराजी शोभाराम की स्वःअर्जित आराजी है अतः उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रो पर ही प्रकान्त होगी। विवादित आराजी प्रदर्श– पी 1, नकल जमाबन्दी संवत 2060–63 में रूप सिंह पुत्र शोभाराम के नाम दर्ज है अतः अपीलाण्ट/वादीगण खातेदार रूप सिंह से संदायादता (coparcenery) हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी उचित ही वहक रैस्पो/प्रतिवादीगण विरूद्ध अपीलाण्ट/वादीगण तय की है, जिसमें हम, हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

6. तनकी संख्या 02, 03, 05, 06 :– चूंकि तनकी संख्या 01 के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि विवदित आराजी शोभाराम की स्वःअर्जित सम्पत्ति है। अतः अपीलाण्ट/वादीगण का उसमें कोई हक निहित नहीं होने से खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता, ना ही राजस्व अभिलेख में अपने नाम का इन्द्राज कराने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का अधिकारी है एवं ना ही रैस्पो0/प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

7. तनकी संख्या 4 रिलीजडीड को निरस्त कराने बाबत् है। रिलीजडीड को निरस्त करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। इस न्यायालय को रिलीजडीड बाबत् कोई भी कार्यवाही किये जाना का क्षेत्राधिकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official